# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 81/2022 (GCMS No. 2022/86) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

आम जनता ग्राम ससेडी जरिये

1. राधेश्याम पुत्र नथुआ आयु 68 साल
2. कुमेर पुत्र सिरोमन आयु 62 साल
3. उमाचरण पुत्र जगदीश आयु 55 साल
4. रामेश्वर पुत्र गोविन्द आयु 50 साल

जातियान माली

5. शीशराम पुत्र गयाबक्श आयु 42 साल जाति गुर्जर

सभी निवासी ग्राम ससेडी तहसील व जिला करौली।

.....अपीलांटस

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र छोटे जाति तेली निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली।
2. आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी करौली तहसील व जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2022 न्यायालय जिला कलक्टर करौली प्रकरण संख्या 10/20 उनवानी आम जनता ग्राम ससेडी बनाम श्रीलाल वगै.।

उपस्थिति:–

1. अपीलांटस की ओर से श्री नवल किशोर शर्मा, वकील
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री मुकेश कुमार शर्मा वकील

## नि र्ण य

दिनांक : 24.01.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 06.06.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा चारागाह भूमि का अवैध आवंटन किया गया है। आवंटन के निरस्तीकरण हेतु अपीलांटस आम जनता ससेडी ने धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत किया कि उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

आवंटन निरस्त कराने हेतु पूर्व में घनश्याम पुत्र जौहरी नामक व्यक्ति द्वारा पेश किया था जो नोट प्रेस में खारिज करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 06.06.2022 को अपीलांटस का आवेदन धारा 14(4) आवंटन नियम खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से पैरवी हेतु श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर अदालत आये।

3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की मवेशी चराई की होने के कारण अपीलांटस द्वारा जिला कलक्टर करौली के यहॉ प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया। कभी काश्त नहीं हुई और न ही काबिल काश्त है। सुनवाई के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत किया कि उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु पूर्व में घनश्याम पुत्र जौहरी नामक व्यक्ति द्वारा पेश किया था जो नोट प्रेस में खारिज करा लिया। इसलिए कोई व्यक्ति दुबारा आवेदन नहीं कर सकता है। हमारे आदेश 7 नियम 11 का जबाब अधीनस्थ न्यायालय ने न पढा और न देखा। रेस्पोडेन्ट ने यह प्रार्थना पत्र खुद ही लगवाया और वापस करवा लिया ताकि आम जनता में से कोई दुबारा आवेदन न कर सके। घनश्याम के आवेदन को आम जनता को पता ही नहीं था। घनश्याम के प्रार्थना पत्र से यह साबित होता है कि ये लोग गलत थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पूर्व आवेदन पेश होने व उसके नोट प्रेस में खारिज होने मात्र से आम जनता के विधिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। विवादित भूमि आम जनता की मवेशी चराव की चारागाह भूमि है जो आवंटन योग्य नहीं है और चारागाह भूमि का अवैध आवंटन अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में आने पर ऐसे आवंटन को स्वतः ही निरस्त करना चाहिए। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 06.06.2022 अपास्त किया जाकर पुनः मेरिट पर सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि अपीलांटस का प्रार्थना पत्र 14(4) जिला कलक्टर करौली के यहॉ खारिज हुआ है और आवंटन बहाल रखा गया है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी घनश्याम की ओर से पेश किया गया था जिसमें

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलांटस पक्षकार नहीं थे। अपीलांटस द्वारा देरी का कारण नहीं बताया गया। अपीलांटस अपने को आम जनता बता रहे हैं जबकि अपीलांटस संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता छोटे पुत्र बुधू तेली को दिनांक 20.10.1975 को आराजी खसरा नम्बर 231/3 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम ससेडी तहसील करौली में आवंटित हुई थी और इसके आधार पर आवंटी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुआ था।रेस्पो.नं. 1 के पिता छोटे पुत्र बुधू के हक में हुए आवंटन आदेश दिनांक 20.10.1975 के निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) अवंटन नियम 1970 मुकदमा संख्या 07/2020 न्यायालय जिला कलेक्टर करौली बउनवान घनश्याम बनाम श्रीलाल वगै. पेश किया था जो दिनांक 26.10.2020 को खारिज हो चुका है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किसी एक ही प्रकरण का निस्तारण एक ही न्यायालय में एक से अधिक बार नहीं किया जा सकता है। हम विद्धान अभिभाषक अपीलांटस की दलीलों से कतई सहमत नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दी गई दलीलों से हम पूर्णतया सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विधिसम्मत होने से हम उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2022 को यथावत रख जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर